

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 38/2024-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2024

सा. का. नि. (अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित, का और संशोधन करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	अधिसूचना सं. 26-सीमाशुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1962,	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - “2. इस अधिसूचना में शामिल कोई भी बात 30 सितंबर, 2024 के बाद प्रभावी नहीं होगी।
2.	अधिसूचना सं. 16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, संख्यांक सा.का.नि. 126(अ) तारीख 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
3.	अधिसूचना सं. 80- सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, संख्यांक सा.का.नि. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

4.	अधिसूचना सं. 46- सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, संख्यांक सा.का.नि. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा का लोप किया जाएगा ।
5.	अधिसूचना सं. 248- सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, संख्यांक सा.का.नि. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
6.	अधिसूचना सं. 207/89- सीमाशुल्क, तारीख 17 जुलाई, 1989, संख्यांक सा.का.नि. 702(अ), तारीख 17 जुलाई, 1989 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे परन्तुक में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
7.	अधिसूचना सं. 134/94- सीमाशुल्क, तारीख 22 जून, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 525(अ), तारीख 22 जून, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
8.	अधिसूचना सं. 147/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 576(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
9.	अधिसूचना सं. 148/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 577(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में, अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
10.	अधिसूचना सं. 151/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 580(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1, 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
11.	अधिसूचना सं. 152/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि. 581(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
12.	अधिसूचना सं. 153/94- सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1994, संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना में, - (I) सारणी में, क्रम संख्या 1 में, कॉलम (3) में, -

	582(अ), तारीख 13 जुलाई, 1994 द्वारा प्रकाशित ।	<p>(क) शर्त (ii) के समक्ष, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "बशर्ते अध्याय 88 या 89 के अंतर्गत आने वाली वस्तुएँ जब रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए आयात कि जाती हैं, तो पुनः निर्यात की अवधि एक वर्ष होगी, जिसे सहायक आयुक्त या उपायुक्त की अनुमति अनुसार एक और वर्ष बढ़ाया जा सकता है;"</p> <p>(ख) शर्त (iv) में, खंड (ग) में, शब्द "छह मास" के बाद, शब्द "या एक वर्ष, जैसा भी मामला हो" अंतःस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(II) दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।</p>
13.	अधिसूचना सं. 39/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 291(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
14.	अधिसूचना सं. 50/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 302(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
15.	अधिसूचना सं. 51/96- सीमाशुल्क, तारीख 23 जुलाई, 1996, संख्यांक सा.का.नि. 303(अ), तारीख 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
16.	अधिसूचना सं. 32/1997- सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997, संख्यांक सा.का.नि. 188(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "2. इस अधिसूचना में शामिल कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।

17.	अधिसूचना सं. 25/98- सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
18.	अधिसूचना सं. 24/2001- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2001, संख्यांक सा.का.नि. 123(अ), तारीख 1 मार्च 2001 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "2. इस अधिसूचना में शामिल कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।
19.	अधिसूचना सं. 25/2001- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2001, संख्यांक सा.का.नि. 124(अ), तारीख 1 मार्च 2001 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "2. इस अधिसूचना में शामिल कोई भी बात 31 मार्च, 2026 के बाद प्रभावी नहीं होगी।
20.	अधिसूचना सं. 113/2003- सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे परन्तुक में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
21.	अधिसूचना सं. 81/2005- सीमाशुल्क, तारीख 8 सितंबर, 2005, संख्यांक सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
22.	अधिसूचना सं. 26/2011- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 152(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
23.	अधिसूचना सं. 23/2016- सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2016, संख्यांक सा.का.नि. 217(अ), तारीख 1 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
24.	अधिसूचना सं. 05/2017- सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 89(अ), तारीख 2 फरवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
25.	अधिसूचना सं. 16/2017- सीमाशुल्क, तारीख 20 अप्रैल, 2017, संख्यांक सा.का.नि.	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

	394(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	
26.	अधिसूचना सं. 29/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 764(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा का लोप किया जाएगा ।
27.	अधिसूचना सं. 30/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 765(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2026" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
28.	अधिसूचना सं. 32/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 767(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
29.	अधिसूचना सं. 35/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 770(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, दूसरे पैराग्राफ के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "3. इस अधिसूचना में शामिल कोई भी बात 31 मार्च, 2029 के बाद प्रभावी नहीं होगी।
30.	अधिसूचना सं. 37/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 772(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा में अंक और शब्द "30 सितंबर, 2024" के स्थान पर अंक और शब्द "31 मार्च, 2029" प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।
31.	अधिसूचना सं. 49/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 784(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, चौथे पैरा का लोप किया जाएगा ।
32.	अधिसूचना सं. 52/2017- सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017, संख्यांक सा.का.नि. 787(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित ।	उक्त अधिसूचना में, तीसरे पैरा का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 24 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव

टिप्पणः

1. मूल अधिसूचना सं.-26-सीमाशुल्क, तारीख 19 फ़रवरी, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 फ़रवरी, 1962 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
2. मूल अधिसूचना सं.-16-सीमाशुल्क, तारीख 23 जनवरी, 1965, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 779(अ) 23 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
3. मूल अधिसूचना सं.-80-सीमाशुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 1246(अ), तारीख 29 अगस्त, 1970 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
4. मूल अधिसूचना सं.-46-सीमाशुल्क, तारीख 25 मई, 1974, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 503(अ), तारीख 25 मई, 1974 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।
5. मूल अधिसूचना सं.-248-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. सं. 617(अ), तारीख 2 अगस्त, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024

की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

16. मूल अधिसूचना सं.-32/1997-सीमाशुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1997, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 188(अ), तारीख 1 अप्रैल, 1997 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 26/2017-सीमाशुल्क, तारीख 29 जुलाई 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 761(अ), तारीख 29 जुलाई 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

17. मूल अधिसूचना सं.-25/98-सीमाशुल्क, तारीख 2 जून, 1998, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 290(अ), तारीख 2 जून, 1998 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

18. मूल अधिसूचना सं.-24/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 123(अ), तारीख 1 मार्च 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

19. मूल अधिसूचना सं.-25/2001-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 124(अ), तारीख 1 मार्च 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

20. मूल अधिसूचना सं.-113/2003-सीमाशुल्क, तारीख 22 जुलाई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 572(अ), तारीख 22 जुलाई, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. सं. 73(अ), तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

21. मूल अधिसूचना सं.-81/2005-सीमाशुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 569(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 07/2024-सीमाशुल्क, तारीख 29 जनवरी 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई

